राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 551/2017/नागौर

सहायक आयुक्त मेड़ता सिटी, जिला नागौर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स सीताराम आसाम टी ऐजन्सी
डीडवाना जिला नागौर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री जमील जई
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी. सोगानी
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 25.07.2018

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील सं. 190/2015–16/वेट/मेड़ता सिटी में पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट –द्वितीय वृत्त मेडता सिटी (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 16.10.2015 को वाहन सं. RJ20 G 4912 चैंकिग की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर माल वाहन चालक द्वारा मैन्युअल रूप से जारी घोषण पत्र वेट–47 संख्या A-4656020 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5693 दिनांक 14.05.2015 संशोधन क्रमांक 57891 दिनांक 01.06.2016 कि **"जिन व्यवहारियों का वर्ष 2014–15 में सकल पण्यावर्त 25 लाख से अधिक हो, उनके लिये राज्य के बाहर से अधिसूचित माल के आयात के दौरान वैट नियम 2006 के नियम 53(1) के तहत् राजय में प्रवेश के समय वक्त परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाईन वेट –47 पत्र जारी किया हुआ होना वक्त जांच प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।"** का उल्लंघन मानते हुए वाहन को मय माल के निरूद्ध कर नोटिस जारी किया गया। जांरी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी की ओर से श्री अश्विनी शर्मा ने उपस्थित होकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए उक्त कृत्य को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों 2006 के नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार करापवंचन का अभियोज दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण अन्य अधिकारी को स्थानान्तरित करने का निवेदन किया गया। जांच अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लघंन मानते हुए कर

लगातार.....2.

अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति रूपये 894375 रूपये का आरोपण कर नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में प्रत्यर्थी फर्म के प्रबंधक श्री अश्विनी शर्म द्वारा कथन किया गया कि परिवहन के दौरान अधिनियम की धारा 76(2) के तहत् वांछित दस्तावेज वैट–47 कमांक ए–4656020 प्रस्तुत कर दिया गया था जिससे उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी तथा केवल जानकारी के अभाव में ऑनलाईन जारी वेट–47ए दस्तावेज के साथ संलग्न नहीं किया जो एक मानवीय भूल है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैन्युअल वेट–47 को अमान्य मानकर ऑनलाईन वेट–47ए अनिवार्य होना अभिनिर्धारित कर शास्ति आरोपित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश दिनांक 12.08.2015 के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा मैन्युअल वेट–47 को तकनीकी भूल मानते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 17.10.2016 से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

4. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर अपीलीय अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि परिवहनित माल अधिसूचित वस्तु था तथा इसके साथ वेट–47 होना आवश्यक था। वक्त चैकिंग माल प्रभारी द्वारा जो वेट–47 पेश किया गया वह मैन्युअल रूप से जारी घोषण प्रपत्र था। जबकि आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना कमांक 5693 दिनांक 14.05.2015 संशोधन क्रमांक 57891 दिनांक 01.06.2016 कि "जिन व्यवहारियों का वर्ष 2014–15 में सकल पण्यावर्त 25 लाख से अधिक हो, उनके लिये राज्य के बाहर से अधिसूचित माल के आयात के दौरान वैट नियम 2006 के नियम 53(1) के तहत राजय में प्रवेश के समय वक्त परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाईन वेट –47 पत्र जारी किया हुआ होना वक्त जांच प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।" का उल्लंघन मानते हुए वाहन को मय माल के निरूद्ध कर नोटिस जारी किया गया। अतः इसे विधि मान्य नहीं माना जा सकता। जैसाकि माननीय कर बोर्ड ने राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी बनाम सहायक वाणिज्यिक कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय में प्रतिपादित किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे तकनीकी भूल मानकर आरोपित कर व शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की गई है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच परिवहनित माल के संबंध में समस्त दस्तावेज मौजूद

लगातार.....3.

थे तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन्हें मिथ्या अवधारित नहीं किया गया। परिवहनित माल के साथ केवल मैन्युअल वेट–47 पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया, जो कि एक तकनीकी भूल थी। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रत्यर्थी फर्म द्वारा मैन्युअल वेट–47 पत्र पूर्णयता सही भरा हुआ होने के कारण किसी प्रकार का करापवंचन की संभावना नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म की अपील को स्वीकार कर मैन्युअल वेट–47 को तकनीकी भूल माना। अतः प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किया जाने तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.10.2016 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।

7. यह उल्लेखनीय है कि कि दिनांक 16.10.2015 को वाहन सं. RJ20 G 4912 को चैक किये जाने पर माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में घोषण प्रपत्र मैन्युअल वेट–47 क्रमांक A 4656020 पाया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण इस कारण किया गया कि प्रत्यर्थी को ऑनलाईन वेट–47ए विभागीय वेबसाईट राजविस्टा से डाउनलोड/जनरेट करना चाहिये था क्योंकि आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5693 दिनांक 14.05.2015 संशोधन क्रमांक 57891 दिनांक 01.06.2016 के अनुसार "जिन व्यवहारियों का वर्ष 2014–15 में सकल पण्यावर्त 25 लाख से अधिक हो, उनके लिये राज्य के बाहर से अधिसूचित माल के आयात के दौरान वैट नियम 2006 के नियम 53(1) के तहत् राजय में प्रवेश के समय वक्त परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाईन वेट–47 पत्र जारी किया हुआ होना वक्त जांच प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।"

8. प्रत्यर्थी फर्म के प्रबंधक श्री अश्विनी शर्मा द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जवाब में यह उल्लेखित किया कि परिवहन के साथ वाच्छित दस्तावेज बिल, बिल्टी एवं विभाग द्वारा जारी वैध घोषण पत्र वेट –47 संलग्न था। वेट 47 मैल्यूल भरा हुआ था। जिसे प्रत्यर्थी फर्म के प्रबन्धक द्वारा मानवीय भूल व जानकारी के अभाव में ऐसा होना माना स्वीकार किया। प्रत्यर्थी फर्म के प्रबंधक द्वारा ऑनलाईन वेट–47ए नहीं दिये जाने को तकनीकी भूल माना। अपीलीय अधिकारी द्वारा मैन्युअल वेट 47 पूर्ण रूप से भरा होने तथा ऑनलाईन वेट–47ए नहीं दिये जाने को तकनीकी त्रुटि मानकर प्रत्यर्थी फर्म द्वारा किसी प्रकार का करापवंचन साबित नही माना है।

9. इस प्रकार चैकिंग के समय परिवहनित माल के साथ मैन्युअल वेट–47 था जो भरा हुआ था तथा विभाग द्वारा जारी किया गया था। उक्त मैन्युअल वेट–47 का विभाग द्वारा निरस्त नही किया गया था। चैकिंग के दौरान पाये गये बिल एक्साइड ड्यूटी

लगातार.....4.

के साथ जारी है एवं विवरण पूर्णतया भरे हुए है, जिसमें घोषण प्रपत्र होना अंकित है। अतः इससे प्रत्यर्थी की कोई करापवंचना की मंशा प्रकट नहीं होती है। इस प्रकार वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 5693 दिनांक 14.05.2015 संशोधन क्रमांक 57891 दिनांक 01.06.2016 के अनुसार ऑनलाईन वेट –47ए प्रपत्र की अनिवार्यता के स्थान पर चैकिंग के समय विभाग द्वारा जारी मैन्युअला वेट–47 पाये जाने को एक तकनीकी त्रुटि मानने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधि त्रुटि कारित नहीं की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मैन्युअल वेट–47 के आधार पर धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति विधि संगत नही है। अतः अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 विधि सम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17.10.2016 की पुष्टि की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

25/07/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य